संख्या-345/2020/608/22-2-2020-17(737)2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2020*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुखदेव पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20-05-2020 दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये बन्दी सुखदेव पुत्र श्री रामस्वरूप, जो रोशनाबाद, थाना-बांगरमऊ, जनपद-उन्नाव वर्तमान पता म0नं0-25, सूबेदार नगर, थाना-बिठूर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है । बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.11.1980/01.12.1980 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी । सत्र परीक्षण संख्या-66/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34, 323 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 05.09.1981 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 28.02.2008 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.04.2019 तक 10 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 07 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने एवं भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुखदेव (बंदी संख्या-23214) पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-345/2020/608(1)/22-2-2020 तद्दिनांक--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in